न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक Rev 3143–III / 14 जिला शिवपुरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9–9–2015	आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता, 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुनर्विलोकन हेतु निम्नलिखित तीन आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो कि सम्यक तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी ; या (2) मामले के अभिलेख से प्रकट भूल या गलती ; या (3) अन्य कोई पर्याप्त आधार । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । केवल इस न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्षो में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता हैं । अतः यह पुनर्विलोकन प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्रमांक /2014 रिव्यू 3153-III/14

1 मान सिंह पुत्र देवपाल सिंह रावत

2 लोकेन्द्र सिंह पुत्र देवपाल सिंह रावत

निवासीगण–ग्राम लुहारी, कृषक ग्राम सुनारी,

तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

———आवेदकगण

श्री विनोद भार्गव एडवो द्वारा आज दि 17-9-14 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-9-14
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
5.05 PM

बनाम

1 पंचम सिंह पुत्र मातादीन रावत

2 रणवीर सिंह पुत्र प्राण सिंह,

3 हरनाम सिंह पुत्र प्राण सिंह,

निवासीगण–ग्राम लुहारी, कृषक ग्राम सुनारी,

तहसील नरवर, जिला शिवपुरी

——अनावेदकगण

विनोद भार्गव
एडवोकेट
ग्वालियर
17-9-2014

माननीय श्री अशोक शिवहरे, सदस्य राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर द्वारा पुनरीक्षण क्रमांक 2295–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 07/07/2014 के विरूद्ध म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।